न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 182/19—20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

मंगरा मुण्डा — विक्रेता

बुधन होरो — क्रेता

<table>
<tr><th>आदेश की क्रम संख्या और तारीख</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित</th></tr>
<tr><td>16.12.20</td><td>
<u>आदेश</u>
आवेदक मंगरा मुण्डा पिता भागतु मुण्डा ग्राम—जरीया, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने बुधन होरो पति पौलुस होरो ग्राम—बारागों, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।
<table>
<tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं0</th><th>खाता नं0</th><th>खेसरा सं0</th><th>रकवा (एकड़ में)</th></tr>
<tr><td>जरीया</td><td>166</td><td>26</td><td>382</td><td>0.30</td></tr>
</table>
उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं0 0291552780 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 197 दिनांक 24.02.20 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम रामा पाहन वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार बिरसा पाहन के नाम भूमि का रकवा 26.83 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकवा 3.35 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018—19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 2200.00(बाईस सौ)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 3.05 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं! आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मंगरा मुण्डा पिता भागतु मुण्डा को बुधन होरो पति पौलुस होरो के साथ ग्राम जरिया के खाता सं0 26 खेसरा संख्या 382 कुल रकबा 0.30 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 2200.00(बाईस सौ)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।
इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।
लेखापित एवं संशोधित
16/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।
16/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।
</td><td></td></tr>
</table>